मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2010 (फाल्गुन 21, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का (राजस्व प्राप्तियां) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) (च) की अपेक्षानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, ग्वालियर चंबल संभाग में सिंचाई हेतु पर्याप्त बिजली न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य, देवास जिले के खारपा में खाद्यान्न वितरण न होने की ओर राज्य मंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले में अमानक स्तर की खाद की बिक्री होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के माचलपुर से जौरापुर मार्ग पूर्ण न होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्रीमती सुलोचना रावत, सदस्य, प्रदेश में आदिवासी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(6) श्रीमती इमरती देवी, सदस्य, डबरा नगर पालिका अध्यक्ष को दोषी पाये जाने के बावजूद कार्यवाही न होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, उज्जैन संभाग में चल रहे उद्योगों से प्रदूषण होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर स्थित उद्योग बंद होने से श्रमिकों को समुचित इलाज न मिल पाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य, डिण्डोरी जिले के ग्राम चन्द्रगढ़ के परिवारों को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्य न मिलने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल में ट्रेवल्स मालिकों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूले जाने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, गुना जिले के आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस दुर्घटना से कई यात्रियों की मौत होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम जिले में ट्यूबवेलो से निकलने वाले पानी में फ्लोराईड की मात्रा पाई जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री अजय यादव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में वन समितियों की राशि का दुरूपयोग होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य, जबलपुर के मदनमोहन मालवीय वार्ड में राशन कार्ड आवंटन में अनियमितता होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री मदन कुशवाह, राधेलाल बघेल, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम तालपुरा में दूषित पेयजल का प्रदाय होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के -

(क) ग्राम पंचायत बछामों में 20 सीट का आदिवासी छात्रावास बालक एवं बालिका स्वीकृत किये जाने,
(ख) ग्राम पटेरा में नवीन नल-जल योजना अंतर्गत नई पाईप लाईन का विस्तार किये जाने,
(ग) ग्राम रसीलपुर की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(घ) ग्राम रनेह से बलेय, गैसाबाद तक रोड का डामरीकरण किये जाने,
(ङ) ग्राम गाता एवं बमुरिया के तालाब का गहरीकरण किये जाने,
(च) ग्राम गाता, कौड़िया, बमुरिया हरिजन बस्ती में धर्मशाला निर्माण किये जाने, तथा
(छ) ग्राम इमलिया रावत में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने,

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के -

(क) ग्राम अघोरिया के देवनारायण मंदिर मार्ग पर पुलिया निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम भाऊगढ़ शिवना नदी से वार्ड नं. 16 एवं 17 तक सीमेंट रोड का निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम माऊखेड़ी में सीमेन्टेड रोड एवं नालियां निर्माण किये जाने,
(घ) ग्राम पित्याखेड़ी जागीर के बुगलिया नाले पर रपटानुमा पुलिया निर्माण कराये जाने, तथा
(ङ) ग्राम नौगवां के सदर बाजार को सीमेन्टेड कराये जाने,

(3) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम जिले के -

(क) वार्ड नं. 30 शिवनगर कालोनी में नलकूप खनन किये जाने,
(ख) वार्ड नं. 30 में सड़क निर्माण किये जाने,
(ग) जावरा नगर के वार्ड नं. 29 में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
(घ) जावरा नगर के वार्ड नं. 9 हरिजन बस्ती में ट्यूबवेल लगाये जाने,
(ङ) ग्राम मलवासा में माध्यमिक स्कूल को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(च) जावरा नगर के वार्ड नं. 9 की काशीराम कालोनी में सीमेन्टेड रोड निर्माण कराये जाने,
(छ) ग्राम वार्ड नं. 45 में सीमेन्टेड या डामरीकृत सड़क बनाये जाने,
(ज) जावरा नगर के वार्ड नं. 9 में ट्यूबवेल लगाये जाने,
(झ) वार्ड नं. 45 में 6 इंची पाईप लाईन डालकर पानी सप्लाई किये जाने, तथा
(ञ) जावरा नगर के वार्ड नं. 30 सावरिया कालोनी में सड़क/नाली निर्माण किये जाने,

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) लहार नगर के स्टेडियम को खेल विभाग के अंतर्गत किये जाने,
(ख) लहार नगर के होम्योपैथिक अस्पतालों के भवनों का निर्माण किये जाने,
(ग) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत स्योढ़ा से लिलवारी तक मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने,
(घ) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत दबोह से मडोरी मार्ग निर्माण किये जाने, तथा
(ङ) लहार नगर एवं दबोह के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(5) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के -

(क) सरदारपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ किये जाने,
(ख) सरदारपुर के ग्राम मजरा गवलीपुरा में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने,
(ग) दत्तीगांव में कन्या हाईस्कूल एवं बडोदिया में हायर सेकेण्ड्री स्कूल प्रारम्भ किये जाने,
(घ) राजगढ़ को नगर पालिका में परिवर्तित किये जाने,
(ङ) सरदारपुर को औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने,
(च) सरदारपुर के ग्राम तिरला, लेडगांव, जौलाना व दत्तीगांव में पुलिस चौकी स्वीकृत किये जाने, तथा
(छ) सरदारपुर में आई.टी.आई. केन्द्र स्वीकृत किये जाने,

के संबंध में याचिकाऐं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय			
	6. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)		
2 घन्टे	(1)	मांग संख्या -24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
		मांग संख्या -42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
		मांग संख्या -67	लोक निर्माण कार्य-भवन
		मांग संख्या -76	लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
1 घन्टा 30 मि.	(2)	मांग संख्या -27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)
		मांग संख्या -77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर).
1 घन्टा 30 मि.	(3)	मांग संख्या -28	राज्य विधान-मंडल
		मांग संख्या -29	विधि और विधायी कार्य.
1 घन्टा	(4)	मांग संख्या - 5	जेल
		मांग संख्या - 36	परिवहन.

7. अशासकीय संकल्प

(1) श्री श्रीकान्त दुबे, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि पन्ना को सतना रेल लाईन से जोड़ा जाये.".

(2) सर्वश्री मोतीलाल तिवारी, लक्ष्मण तिवारी, सदस्य. निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रीवा-भोपाल रेवांचल एक्सप्रेस में वातानुकूलित (ए.सी.) श्रेणी 2 व 3 की एक-एक बोगी तथा शयनयान श्रेणी की एक बोगी स्थायी रूप से जोडी जाय.".

(3) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल-हावड़ा एक्सप्रेस जो सप्ताह में एक दिन चलती है, इस ट्रेन को प्रति दिन चलाया जाये.".

(4) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश के इंदौर व महाकाल की नगरी उज्जैन से व्हाया भोपाल होकर बनारस-काशी विश्वनाथ हेतु ट्रेन चलाई जाये.".

(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

1 घन्टा "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश के मंदसौर, रतलाम एवं नीमच जिलों के अफीम उत्पादक लायसेंसी कृषकों की फसल नष्ट न की जावे.".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 11 मार्च, 2010